

ration of tea, possibility of resort to such malpractices by a few unscrupulous traders cannot be ruled out. The Government has not received any specific complaint on large scale adulteration so far.

Loans Disbursed by I.D.B.I.

*192. SHRI SYED AHMAD HASHMI :
SHRI MAQSOOD ALI KHAN :
SHRI KAMESHWAR SINGH :

Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state what are the criteria laid down for the grant of loans to and determination of loan amounts for, different States by the Industrial Development Bank of India ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The hon'ble Members presumably have in mind the criteria, if any, the Industrial Development Bank of India adopts in ensuring that its financial assistance to industrial projects is directed to reduce regional imbalances in industrial development as of between different States or of areas.

Industrial Development Bank of India's (IDBI's) assistance to industry depends on location of industrial concerns assisted by it. The IDBI by itself has no direct control over the location of a project, as the location is decided by the promoter and/or is indicated in the industrial licence issued by Government under the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951. While sanctioning assistance to a particular project, the IDBI, however, examines the suitability of its location, its techno-economic feasibility, its financial and commercial viability, the competence of the management to successfully implement the project and the economic justification of the project from the national point of view.

The IDBI takes particular care to be of assistance to projects sponsored by technician-entrepreneurs, those coming up in backward regions etc. As an apex institution,

the IDBI endeavours to ensure that no worthwhile industrial project, particularly in a backward area, is allowed to languish for want of institutional support. Industrial projects located in backward areas of different States are eligible for assistance on concessional terms from the IDBI and the other long term public financial institutions. These ensure that the regional imbalances in industrial development (i) as between different States or (ii) as between areas in different States, are reduced progressively.

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में
भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र

*193. डा० लोकेश चन्द्र : क्या पर्यटन और
नागर विमानन मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे
कि .

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम
द्वारा चलाये जा रहे होटलों में अतिथियों के लिये
भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र उपलब्ध होते हैं;
और

(ख) क्या अतिथियों के अनुरोध करने पर उन्हें
हिन्दी के समाचारपत्र उपलब्ध कराये जाते
हैं ?

† [Indian language newspapers in ITDC
hotels

*193. DR. LOKESH CHANDRA :
Will the Minister of TOURISM AND
CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Indian language newspapers
are made available for guests in the hotels
run by the India Tourism Development
Corporation ; and

(b) whether Hindi newspapers are sup-
plied to guests on request ?]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम
कौशिक) : (क) और (ख) जी हाँ। भारत
पर्यटन विकास निगम के होटलों में अतिथियों के
अनुरोध करने पर उन्हें भारतीय भाषाओं के
समाचारपत्र, जिनमें हिन्दी के समाचारपत्र भी
शामिल है, उपलब्ध कराये जाते हैं, बशर्ते कि वे
उस प्रदेश (लोकैलिटी) में उपलब्ध हों।

† [] English translation.

[THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTAM KAUSHIK): (a) and (b) Yes, Sir. Subject to availability in the locality. Indian language newspapers, including Hindi newspapers, are made available on request to the guests of ITDC Hotels.]

श्री संजय गांधी द्वारा उपयोग में लाए गए विमान और हवाई पट्टियां

* 194. डा० राम कृपाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री संजय गांधी ने जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में नागर विमानन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले विमानों और हवाई पट्टियों का कितनी बार उपयोग किया और ऐसे उपयोग की अनुमति किन-किन आधार पर दी गई,

(ख) विमानों और हवाई पट्टियों के उपयोग की अनुमति किन-किन अधिकारियों के आदेश से दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि नागर विमानन विभाग के कुछ अधिकारियों को श्री संजय गांधी के आदेशों के अनुसार कार्य न करने के कारण उत्पीड़ित किया गया; और

(घ) यदि हा, तो जिन अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया गया था उनके मामलों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†[Aircraft and airstrips used by Shri Sanjay Gandhi

*194. DR. RAMKRIPAL SINHA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of times the aircraft and the airstrips under the control of the Department of Civil Aviation were used by Shri Sanjay Gandhi during the period from July, 1975 to March, 1977 and the grounds on which such use was allowed;

(b) the names of the authorities under whose orders the use of the aircraft and airstrips was allowed;

†[] English translation.

(c) whether it is a fact that some officers of the Civil Aviation Department were victimised for not acting according to the directions of Shri Sanjay Gandhi ; and

(d) if so, what action has been taken to undo the damage done to such officers?]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में, श्री संजय गांधी ने नागर विमानन विभाग के किसी विमान का प्रयोग नहीं किया। जहां तक इस बात का संबंध है कि हवाई पट्टियों का कितनी बार प्रयोग किया गया, सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) श्री संजय गांधी ने, इंडियन एयरलाइंस की नियमित अनुमूचित सेवाओं द्वारा तथा राज्य सरकारों के विमानों द्वारा यात्री के रूप में की गयी उड़ानों के अलावा, जिनके कि ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं, मंसस इंडामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड बम्बई, के बोनांजा विमान बी०टी०-डी०ए० डी०, अर्पणा आश्रम के मूने विमान तथा दिल्ली फ्लाईंग क्लब के विमानों से कुछ उड़ानें की।

(2) श्री संजय गांधी द्वारा बोनांजा विमान बी०टी०-डी०ए० डी०, मूले विमान तथा दिल्ली फ्लाईंग क्लब के विमानों से की गयी उड़ानें संलग्न विवरणों में दी गयी हैं।

(3) जिन कारणों से श्री संजय गांधी ने ये उड़ानें कीं, उनका पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि नागर विमानन विभाग की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि जहां उड़ान योजना फाइल की जाये वहां उड़ान के प्रयोजन का भी उल्लेख किया जाये। तथापि जहां कहीं भी यात्रा लागू में कारण बताये गये हैं उनका उल्लेख विवरणों में कर दिया गया है।

[(ii) और (iii) के लिए देखिए परिशिष्ट CI अनुपत्र सख्या 27]

(ख) उड़ानों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा, प्रस्तावित उड़ान के ब्यौरे देने वाली उड़ान योजनाओं के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, वायुयान नियम